कई राज्यों में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त

गंगा उफान पर, वाराणसी में घाट जलमग्न

अगले पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी

26 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट | **48** घंटों में भारी बारिश हो सकती है

पटना, मुंबई, हैदराबाद, चण्डीगढ, 26 अगस्त. तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, समेत कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है. वज्रपात, जलभराव व नदियों के उफान से जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. कई इलाकों में बाढ़ ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

मुंबई में भारी बारिश, यलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई के लिए यलो अलर्ट और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, बुधवार को भी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है तथा गुरुवार को मध्यम बारिश हो सकती है जबकि शुक्रवार को कुछ इलाकों में फिर से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. अधिकारियों ने लोगों से विशेषकर बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने का आग्रह किया है.

बिहार के 26 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 26 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. तेज बारिश और वज्रपात से प्रभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा, नालंदा, रोहतास, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है. हालांकि तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव के आसार नहीं हैं.

तेलंगाना में भारी वर्षा का अनुमान

मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु और वारंगल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के भद्राद्रि कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है. अगले सात दिनों के दौरान तेलंगाना में कुछ स्थानों पर या कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने छींटे पड़ने का अनुमान है. अगले पांच दिनों के दौरान राज्य में गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने तथा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवायें चलने का अनुमान है.

ईडी ने त्रिपुरा में चार जगहों पर की छापेमारी

अगरतला, 26 अगस्त. ईडी ने त्रिपुरा सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह से जुड़े व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को राज्य में चार जगहों पर छापेमारी की. ईडी के सूत्रों के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी अगरतला के खैरपुर निवासी उत्पल कुमार चौधरी है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) प्रदेश समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री पवित्र कर का भतीजा है और एक महीने से अधिक समय से ईडी की हिरासत में है तथा उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर राज्य में छापेमारी की गई. अधिकारियों ने पवित्र से भी उत्पल के बारे में पूछताछ की. पिछले वर्ष गुरुग्राम स्थित एक व्यापारिक उद्यम ने रबर शीट की खरीद के लिए कई करोड़ रुपये का निवेश किया था और समझौते के अनुसार निवेशक को मासिक रिटर्न मिलना चाहिए था.

अमेरिकी राजदूत के आरोपों पर फ्रांस हुआ सख्त

यहूदी-विरोधी मुद्दे पर तनातनी, मांगा जवाब

पेरिस, 26 अगस्त. फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने यहूदी-विरोधी आरोप लगने के बाद अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कुशनर को तलब किया है.

अमेरिकी राजदूत ने फ्रांस पर आरोप लगाया था कि उसने यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए. अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी को फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना गया है जो वास्तविकता से कोसों दूर है. फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल टीवी5 मंडे के अनुसार पेरिस स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत ने फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की क्योंकि कुशनर शहर में नहीं थे. एक राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया कि प्रभारी राजदूत को सूचित किया गया कि कुशनर की टिप्पणी फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है. फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुशनर ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को लिखे एक पत्र में फ्रांस में यहूदी-विरोधी भावना के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार पर इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था.

हरित परिवहन को बढ़ावा देने सरकार प्रतिबद्ध

▸ **सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को रिबन काटकर रवाना किया**

नई दिल्ली, 26 अगस्त. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

गुप्ता ने लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में हरित परिवहन की पहल को बढ़ावा देने के इलेक्ट्रिक बसों को रिबन काटकर रवाना किया. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ जुड़ना ही प्रगति है. दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है. स्कूलों को ईवी बसें उपलब्ध कराना सरकार की प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावी पहल है. इसका उद्देश्य है कि स्कूली बच्चें प्रदूषण रहित बसों में यात्रा करें और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें.

इस अवसर पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली आज सुरक्षित हाथों में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मात्र छह महीने में दिल्ली की हवा बदलने की दिशा में जो कार्य शुरू किया है, वह सराहनीय है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दो से तीन वर्षों में दिल्ली में ऐसे अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे, जिनकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी. इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1200 छात्रों का आवागमन होगा.

जिनपिंग ने रूसी ड्यूमा अध्यक्ष से मुलाकात की

बीजिंग, 26 अगस्त. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन-रूस संबंध सबसे स्थिर, परिपक्व और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों देशों का आपसी संबंधों को निरंतर बढ़ावा देना उनके एवं वैश्विक शांति के हित में है. जिनपिंग ने यह बात यहां आए रूसी संसद के निचले सदन, स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन से मुलाकात में कही. जिनपिंग ने कहा, मैंने रूस की राजकीय यात्रा की और सोवियत संघ के महान युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया.

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने मांगा समर्थन

लखनऊ 26 अगस्त. इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मंगलवार को चुनाव में सांसदों के समर्थन की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे.

कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने उपस्थित सांसदों से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन मांगा. राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

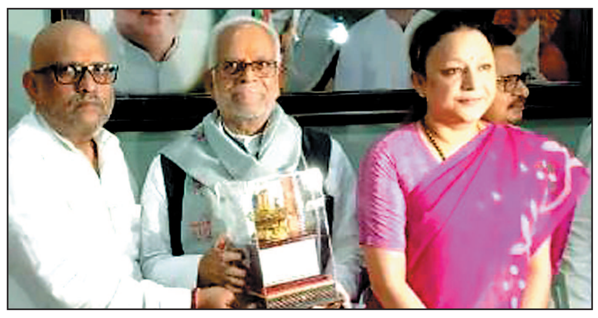

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जस्टिस बी रेड्डी कांग्रेस सांसदों से भी मिले. उन्होंने इस दौरान सांसदों से समर्थन भी मांगा. जिस पर उपस्थित सांसदों ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया. इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना, पूर्व कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया, राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमण सिंह, के एल शर्मा व इमरान मसूद मौके पर मौजूद रहे.

सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते पकड़ा

नई दिल्ली, 26 अगस्त. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर के खाद्य सुरक्षा विभाग के एक सहायक आयुक्त को एक रेस्टोरेंट मालिक से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी सहायक आयुक्त संजीव बाली के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया गया था. बाली ने कथित तौर पर एक रेस्टोरेंट मालिक से दुकान से नमूने न लेने और एक साल के लिए निरीक्षण से छूट देने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी.

ट्रंप ने नागरिक अशांति को दबाने नेशनल गार्ड तैयार रहने निर्देश दिए

वाशिंगटन, 26 अगस्त. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर अमेरिकी प्रांत में नेशनल गार्ड किसी भी प्रकार की नागरिक अशांति से निपटने के लिए तैयार रहें.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से स्थायी त्वरित प्रतिक्रिया बल के गठन का आग्रह किया है कि जिसे इस तरह की अशांति के बारे में सूचना मिलने पर कहीं भी भेजा जा सके। बयान के अनुसार यह आदेश रक्षा मंत्री को निर्देश देता है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में जन सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष डीसी नेशनल गार्ड इकाई का गठन करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि राज्य के नेशनल गार्ड भी इसी तरह प्रशिक्षित हों और देशभर में नागरिक अशांति को दबाने में सहायता के लिए तैयार रहें. बता दें ट्रम्प ने आपातकाल के बीच वाशिंगटन डीसी में 800 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया.

बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

पटना, 26 अगस्त. बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक्स पर बताया कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है. कुमार ने कहा, बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है. उन्होंने बताया कि इसके तहत, 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी.30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी. इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी.

कुमार ने बताया कि इस नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटित की जाएगी. उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि नि:शुल्क आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि नि:शुल्क आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि नि:शुल्क आवंटित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण

देहरादून, 26 अगस्त. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा देहरादून में स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. धामी ने इस दौरान विधानसभा सचिवालय, मंत्रियों के कक्ष तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का अवलोकन करते हुए कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की.

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से कार्य करने के निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण की स्थिति तथा आमजन व जनप्रतिनिधियों के कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है.

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र। सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस जारी करता हूँ जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

स. क्रं.	उधारकर्ता का नाम, सह-उधारकर्ता और LAN नंबर	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि और प्रकार
1	संजीव कुमार बर्मन, ज्योति बर्मन HL0000000124147	11-फरवरी-25 ₹ 1867097 10-फरवरी-25 को	ग्राम भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, फोन नंबर 43 (पुराना 15), बी.बी. नंबर 185, सर्वे नंबर 206/3/2/1/1 (पुराना 206/3), जिला खरगोन (मध्य प्रदेश), आर.सी.सी. भवन, क्षेत्रफल 735 वर्ग फुट, मध्य प्रदेश, 451331, उत्तर-योगेश पुत्र भूरेलाल सोनी का मकान, दक्षिण-25 फिट आम रास्ता, पूर्व-रमेशचंद की जमीन, पश्चिम-15 फिट आम रास्ता	प्रतीकात्मक कब्जा 22-अगस्त-25 को लिया गया

दिनांक : 27.08.2025
स्थान : खरगौन

अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आज का इतिहास

1776 ब्रिटिश सेना ने अमेरिकियों को लांग आइलैंड की लड़ाई में पराजित किया।

1859 एडविन ड्रेक द्वारा प्रथम तेल टिटसविले पेन के पास निकला गया।

युवाओं को मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा

लखनऊ, 26 अगस्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जायेगी और कोई भी कंपनी या नियुक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पायेगा.

लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ के मौके पर उन्होने कहा कि नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार उठायेगी. यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्य है. उन्होंने कहा कि आज यूपी की प्रतिभा की मांग देश-दुनिया में हो रही है.

योगी पर आधारित फिल्म को मंजूरी

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर कथित रूप से आधारित एक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. न्यायालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है कि वह फिल्म 'अजेय' को बिना किसी कट के प्रमाणन प्रदान करे. एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी.

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा नोटिस

जबकि, अद्योहस्ताक्षरकर्ता **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20042HE23-24016518, श्री बलवंत मेघवाल पुत्र श्री लक्ष्मण मेघवाल (ऋणी), श्रीमती मनीषा बाई पत्नी श्री बलवंत मेघवाल (सहऋणी), श्री रवि कुमार (सहऋणी), श्री विरेन्द्र सिंह (गारंटर)	16/6/2025 Rs. 11,07,758.62 ग्यारह लाख सात हजार सात सौ अट्ठावन रूपये एवं बासठ पैसे मात्र 10/6/2025 तक	श्री बलवंत पुत्र श्री लक्ष्मण मेघवाल एवं श्रीमती मनीष बाई पत्नी श्री बलवंत मेघवाल की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 43, वार्डनं. 15, पीएच नं. 3, एलएसएन 253, ग्राम दारूखेडा (खेडादारू), तहसील एवं जिला नीमच, मप्र 458441 क्षेत्रफल 1538 वर्गफीट, पूर्वः राम प्रसाद मीणा, पश्चिमः अम्बा लाल मेघवाल, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः रास्ता	23/8/2025
(ऋण खाता संख्या) LN20042HC23-24016935, श्री अशोक कुमार भील पुत्र श्री नारू लाल भील (ऋणी), श्रीमती तुलसी बाई (सहऋणी), श्री नन्द किशोर बरेडिया (गारंटर)	16/6/2025 Rs. 7,37,586.85 सात लाख सैंतीस हजार पांच सौ छियासी रूपये एवं पिच्यासी पैसे मात्र 10/6/2025 तक	श्री अशोक कुमार भील पुत्र श्री नारू लाल भील की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 35, वार्ड नं. 08, एलएसएन 1508, ग्राम सावन, तहसील एवं जिला नीमच, मप्र 458441, क्षेत्रफल 1620 वर्गफीट, पूर्वः सरकारी पानी की टंकी, पश्चिमः विमल बैरागी, उत्तरः जुजार जाटव एवं गोविन्द जाटव, दक्षिणः आम रास्ता	23/8/2025
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP23-24017499, श्री अंकित सिंह राठौड (ऋणी), श्रीमती करिश्मा पाटीदार (सहऋणी), श्री अशोक सिंह (सहऋणी), श्री विकी चौहान (गारंटर)	16/6/2025 Rs. 34,86,831.55 चौंतीस लाख छियासी हजार आठ सौ इकत्तीस रूपये एवं पचपन पैसे मात्र 10/6/2025	श्री अंकित सिंह राठौड की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 343, वार्ड नं. 28 विश्वास नगर कॉलोनी, बंजारी नगर पालिका पीथमपुर, तहसील महू, जिला इन्दौर मप्र 453331, क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट, पूर्वः प्लॉट नं. 342, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 344, दक्षिणः रोड	23/8/2025
(ऋण खाता संख्या) LN20089HP23-24017859, श्रीमती लता कदम (ऋणी), श्री परसा राम अम्बा राम (सहऋणी)	16/6/2025 Rs. 15,07,438.39 पन्द्रह लाख सात हजार चार सौ अडतीस रूपये एवं उनतालीस पैसे मात्र 10/6/2025 तक	श्रीमती लता कदम की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. पुराना 80, नया 37, प्लॉट नं. 244 (10x40 फीट), प्लॉट नं. 245-बी का भाग (5x40 फीट), भूमि सर्वे नं. 42/1, 42/1/2 का भाग, ग्राम एवं ग्राम कालीबिलोद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मप्र 453001, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, पूर्वः प्लॉट नं. 218, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 245-बी, दक्षिणः प्लॉट नं. 243	23/8/2025

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "**वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**" के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 26.08.2025 स्थानः इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.

उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन - 456010 (म.प्र.)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	लोन नं. 02010000955/ उज्जैन शाखा) अशोक दोधिया (ऋणी) राजू दोधिया (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 3,48,035/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ वेंकटेश्वर धाम मक्सी रोड, पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर बी 10 उज्जैन मध्य प्रदेश - 456010. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर बी-11, पश्चिम- प्लॉट नं.बी-9, उत्तर - कॉलोनी रोड, दक्षिण - अन्य मकान	Rs. 5,08,800/-	Rs. 50,880/-	भौतिक
2	लोन नं. 02010000810/ उज्जैन शाखा) अजय (ऋणी) राजकुमार नायक (जमानतदार)	12-05-2025 & ₹ 7,58,416/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ. सर्वे नंबर 9/1/मिन-1 का भाग पर स्थित, आकाश परिसर मक्सी रोड पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर 122, उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 123, पश्चिम - प्लॉट नंबर 121, उत्तर - रोड, दक्षिण - प्लॉट नंबर 91 एवं 92	Rs. 8,77,200/-	Rs. 87,720/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **29-09-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **30-09-2025 प्रात: 10:00 बजे से 11:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.aadharhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 27-08-2025

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड